दिनांक 26.11.2021 को जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का कार्यवृत्त ।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं उद्यमियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। दिनांक 28.08.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

1. मिनी औद्यौगिक आस्थान भटवाडीसैंण की अद्यतन स्थितिः–

महाप्रबन्धक द्वारा समिति को मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग में आंवटित भूखण्डों, कार्यरत इकाई एवं रिक्त भूखण्डों की स्थिति से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग को मिनी औद्योगिक आस्थान में इकाईयों को आवंटित रिक्त भूखण्डों का निरीक्षण कर उन्हें निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।)

2. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृतिः–

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

3. मिनी औद्यौगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्यायें:–

1. महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाड़ीसैंण में पेयजल आपूर्ति हेतु जल संस्थान, रुद्रप्रयाग द्वारा रु. 07.00 लाख का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्राक्कलन के अनुसार बजट मांग हेतु पत्रावली अग्रसारण हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।)

2. महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाड़ीसैंण हेतु 10 सौर संचालित स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता है, जिनका प्राक्कलन उरेडा विभाग, रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रति संयत्र रु. 18,990.00 एवं रिमोर्ट सेन्सिंग सहित दरें धनराशि 21,269.00 प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा परियोजना निदेशक उरेडा, रुद्रप्रयाग को उचित दरों का पुनः निरीक्षण कर आंकलन करने एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को तद्नुसार बजट मांग हेतु पत्रावली अग्रसारण हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– परियोजना अधिकारी, उरेडा/महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।)

3. मै. चार मचान रिसोर्ट, भेतसेंम, रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधि द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि उनकी इकाई के स्थल पर विद्युत लोड अधिक होने के कारण बार–बार शटडाउन की समस्या होती है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, यूपीसीएल, रुद्रप्रयाग को उक्त सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग रुद्रप्रयाग।)

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति– 2015 के तहत् औद्योगिक इकाइयों को उपादान, स्वीकृतिः–

(क) ब्याज उपादानः–

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146– एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम् रू. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धनराशि या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
1. मै. चार मचान रिसोर्ट भेतसेंम, गुप्तकाशी	सावधि ऋण	100.00	09.90	01.07.21 से 30.09.21	2,09,711.00	—	2,09,711.00
2. मैसर्स द टूरिया हैली रिसोर्ट जामू, फाटा	सावधि ऋण	67.50	9.40	01.07.21 से 30.09.21	1,43,132.00	—	1,43,132.00
3. मैसर्स नन्दा रिसोर्ट बडासू	सावधि ऋण	200.00	11.25	01.07.21 से 30.09.21	6,44,604	71,623	5,72,981.00 अधिकतम मानक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस अवधि हेतु रू0 2,24,641.00 को स्वीकृति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है।
4. मै. होटल एडं रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड, झिरमोली ,रुद्रप्रयाग	सावधि ऋण	100.00	09.90	01.07.21 से 30.09.21	1,95,380.00	—	1,95,380.00
5. मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग	सावधि ऋण	67.50	9.40	01.07.21 से 30.09.21	1,01,467.00	6,193.00	95,274.00
6. होटल मधुगंगा, ऊखीमठ	सावधि ऋण	99.646	10.90	01.07.21 से 30.09.21	3,13,252.00	25,865.00	2,87,387.00
	सावधि ऋण	100.00	10.25	01.07.21 से 30.09.21	2,37,460.00	5,792.00	2,31,668.00
				कुल	5,50,712.00	31,657.00	5,19,055.00 अधिकतम मानक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस अवधि हेतु रू0 2,67,207.00 को स्वीकृति हेतु समिति के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

समिति द्वारा उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों को एम.एस.एम.ई. योजना 2015 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत वर्णित की धनराशि स्वीकत की गई।

(ख) विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायताः—

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146–एमएसएमई/2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.5 के अन्तर्गत श्रेणी–"ए" के क्षेत्रों हेतु 100 केवीए तक के उद्यमों को प्रथम 05 वर्ष के लिये शत–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता का प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये—

इकाई का नाम	अवधि	पिछली रीडिंग	अंतिम रीडिंग	कुल उपयोग की गई विद्युत यूनिट	दर प्रति यूनिट रू0 में	कुल धनराशि रू0 में	प्रतिपूर्ति हेतु शत प्रतिशत की दर से अनु0 धन0 रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8
मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग	30.06.21 से 31.07.21	2910	4113	1203	04.60 प्रति यू.	5,533.00	5,533.00
	31.07.21 से 31.08.21	4113	4914	801	04.60 प्रति यू.	3,687.00	3,687.00
	31.08.21 से 30.09.21	4914	5654	704	04.60 प्रति यू.	3,404.00	3,404.00
	30.09.21 से 31.10.21	5654	6637	983	04.60 प्रति यू.	4,521.00	4,521.00
					योगः—	17,145.00	17,145.00

समिति द्वारा उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों को एम.एस.एम.ई. योजना 2015 के अन्तर्गत बिलों की प्रतिपूर्ति सहायता योजनान्तर्गत वर्णित की धनराशि स्वीकृत की गई।

5. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचारः—

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत निम्न इकाइयों के सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राप्त हुये हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	उत्पाद	स्थान	अनुज्ञा/अनापत्ति का विवरण	सैद्धान्तिक स्वीकृति
1.	मै. ए.पी. एंड ऐसोसिएट,	मिनी स्टोन क्रेशर	पीड़ा, पाबौं मोटर मार्ग	प्रदूषण अनापत्ति	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिनांक 09.11.2021 **Approved as a unit must applied for CTE/CTO**

उक्त इकाई को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार दिये जाने की सहमति व्यक्त की जा चुकी है। अतः समिति द्वारा उक्त इकाई को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्त में बैठक का समापन करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं उद्यमियों का सधन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(एच.सी.हटवाल)
महाप्रबन्धक,जि.उ.के.रुद्रप्रयाग
एवं सदस्य सचिव जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
एवं अध्यक्ष, जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

।। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।।

पत्रांक 1606 /जि.उ.के./जि.उ.मि./2020–21 दिनांकः ~~सितम्बर~~ दिसम्बर 03, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निर्धारित समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में समिति के. समक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य विकास अधिकारी, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. अग्रणी बैंक प्रबन्धक, रुद्रप्रयाग।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रुद्रप्रयाग।
10. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
11. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
12. जिला पर्यटन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रुद्रप्रयाग।
14. अधि. अभियन्ता पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग
15. जिला अग्निशमन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
16. अधि. अभि. लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
17. जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
19. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
20. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
21. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
22. परियोजना निदेशक, उरेडा रुद्रप्रयाग।
23. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुद्रप्रयाग।